न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं० BR-19F-1020.

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा, केस संख्या–**156 / 2018–19**, राज्य बनाम स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं०–BR-19F-1020.

केस का प्रकार– बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त वाहन के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–:आदेश:– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक 4367 / हि०शा० दिनांक 26.09.2019 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव महिषी थाना कांड संख्या– 39 / 2018, में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त वाहन स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं०– BR-19F-1020 के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित है कि– "यह कांड के वादी पु०अ०नि० हरेश्वर प्रसाद सिंह थानाध्यक्ष महिषी थाना, पे०– स्व० शिव नारायण सिंह, साकिन– रायपट्टी, थाना– दिघवारा, जिला– सारण के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त (1) रूपेश कुमार सिंह उर्फ मंगल सिंह पे०– भीम सिंह उर्फ कृष्णा सिंह, साकिन– कन्दाहा, थाना– महिषी, जिला– सहरसा (2) दीपक सिंह पे०– स्व० कामेश्वर प्रसाद सिंह, साकिन– पुरिख, थाना– बिहरा, जिला– सहरसा (3) राहुल सिंह पे०– कारो सिंह, साकिन– बरेल बरूआरी, थाना व जिला– सुपौल (4) जप्त वाहन BR-19F-1020 के मालिक मणीष सिंह पे०– बद्री सिंह, साकिन– गंगजला, पंचवटी वार्ड नं०– 17, सहरसा के विरूद्ध शराब पीकर गाड़ी चलाना एवं शराब लेकर जाना व पहुँचाने के आरोप में जप्त कराया गया है। इस काण्ड में 253 बोतल अंग्रेजी शराब जो 180 एम०एल० का है जिसे विधिवत जप्त कर थाना में रखा गया है। जिसमे से तीन बोतल जांच हेतु F.S.L. भेजा गया है। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त (1) रूपेश कुमार सिंह उर्फ मंगल सिंह पे०– भीम सिंह उर्फ कृष्णा सिंह, साकिन– कन्दाहा, थाना– महिषी, जिला– सहरसा (2) दीपक सिंह पे०– स्व० कामेश्वर प्रसाद सिंह, साकिन– पुरिख, थाना– बिहरा, जिला–	

सहरसा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके विरूद्ध अनुसंधान बाद आरोप पत्र संख्या– 60/2018, दिनांक– 16.04.2018 समर्पित किया गया है एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधान जारी है।"

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन नं०– BR-19F-1020 के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

वाहन के वर्तमान मालिक विवेक कुमार पे०– शिवनंदन सहनी, साकिन– गंगजला वार्ड नं०– 17, थाना व जिला– सहरसा उपस्थित हुए। उनका कथन है कि जप्त वाहन व्यवसायिक प्रकृति का है। महिषी थाना काण्ड संख्या– 39/2018, के अभियुक्त द्वारा गाड़ी भाड़े पर ली गई थी। जप्ती के समय में वे न तो घटना स्थल पर उपस्थित थे और न ही उनके पास से शराब बरामद की गई है। इस आधार पर वाहन मालिक को भी दोषी मानकर वाहन को जप्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

वाहन मालिक का आगे कहना है कि जप्त वाहन को मुक्त किये जाने को लेकर उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० वाद संख्या– 15861/2019, दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक– 16.12.2019 को जप्त वाहन को औपबंधिक रूप से मुक्त किये जाने संबंधी आदेश पारित किया गया है।

वाहन मालिक का पुनः कहना है कि औपबंधिक रूप से जप्त वाहन के मुक्त किये जाने को लेकर न्यायालय के निदेशानुसार वे आवश्यक कागजात एवं बंधपत्र दाखिल करने हेतु तैयार हैं। वाहन मालिक द्वारा Indemnity Bond एवं एक जमानतदार लक्ष्मी कुमारी के ओर Surety Bond की प्रति दाखिल कर मुख्यतः इसी के साथ जप्त वाहन स्कार्पियो रजिस्ट्रेशन नं०– BR-19F-1020 को औपबंधिक रूप से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि वाहन का प्रयोग शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त वाहन को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

वाहन मालिक के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना। विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त

प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन स्कार्पियो रजिस्ट्रेशन नं०– BR-19F-1020 से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। चूँकि वाहन में अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था।

अतः जप्त वाहन वाहन स्कार्पियो रजिस्ट्रेशन नं०– BR-19F-1020 को बिहार मद्य निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिहरण किया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद सहरसा को एवं सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भी भेजें।

इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक ...313.../न्याया०, सहरसा, दिनांक ...03...जुलाई, 2020।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अधी[redacted]क मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जि[redacted]ला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
सहरसा।